

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी.) श्रेणी के आवासीय प्लॉट आवंटन योजना

योग्यता मापदंड:

- आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। (स्वयं घोषित/नोटरी शपथ पत्र)
- आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ई.डब्ल्यू.एस. (EWS) प्लॉट के लिए 3 लाख रुपये एवं एल.आई.जी. (LIG) प्लॉट के लिए 6 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। (स्वयं घोषित/नोटरी शपथ पत्र)।
- आवेदक अथवा उसके परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से मध्यप्रदेश राज्य में कोई आवास/भूखण्ड न हो। (नोटरी शपथ पत्र)
- कोई भी आवेदन पत्र स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार कलेक्टर कार्यालय इन्दौर को होगा।
- बैंक बचत खाता होना अनिवार्य है।
- आधार कार्ड होना अनिवार्य है।

प्लॉट की योजना

- ओमेक्स सिटी-1, ओमेक्स ग्रीन, बाल्याखेड़ी, इन्दौर
- लायसेंस संख्या 25/2017 दिनांक 11/05/2017
- स्वीकृत मानचित्र पत्र क्रमांक 4040 दिनांक 01/06/2016
- विकास अनुमति पत्र क्रमांक 46/2016 दिनांक 21/10/2016
- डायवर्जन आर्डर पत्र क्रमांक 06/अ-2/13-14 दिनांक 10/03/2014
- रेरा रजिस्ट्रेशन क्रमांक **P-IND-17-898**

**बैंक लोन
उपलब्ध**

आवेदन फार्म ₹100 में उपलब्ध है।

सिटी ऑफिस : एफ.एफ. 58, आर्बिट मॉल, ए.बी.रोड, इन्दौर
साइट ऑफिस : ओमेक्स सिटी-1, आगरा-मुम्बई बायपास, मायाखेड़ी, इन्दौर
विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें : +91 830 2222 333